

DIVYANG JAN KE ATIT, VARTMAN AUR BHAVISHYA KI SANKALPNA ME DIVYANG JAN ADHINIYAM

दिव्यांग जन के अतीत, वर्त्तमान और भविष्य की संकल्पना में दिव्यांग जन अधिनियम

Dr. Deepak Tripathi [1] | Dr. Neela Visha Lakshmi [2]

[1] Assistant Professor, Special Education Department, Nehru Gram Bharti Deemed to be University, Prayagraj, U. P., India.
[2] Assistant Professor, Special Education Department, Nehru Gram Bharti Deemed to be University, Prayagraj, U. P.

ABSTRACT

मानव जीवन के प्रारम्भ से लेकर हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की विचार धाराऐ ब्याप्त है सभी अपने स्तर के जीवन के बारे में विचार करते हैं हमारे समाज में विभिन्न वर्ग के लोग हैं इन वर्गों में छोटे बड़े उच्च- निम्न,सामान्य व् विशेष होते हैं विशेष से यहाँ सन्दर्भ हमारे दिव्यांग बच्चों से है दिव्यांग बच्चों से सम्बन्ध हमारे प्राचीन भारत से चली आ रही है हिन्दी के महा काब्य काल के प्रचलित ग्रन्थ रामायण और महाभारत के समय से इनके सम्बन्ध में कुछ कथायें प्रचलित हैं परन्तु आज के स्वतन्त्र भारत में इनके लिए हमारे देश में इनके शिक्षा, रोजगार एवं अधिकार पर तेजी से चर्चा चल रही है दिव्यांग बच्चों के लिए वर्त्तमान इनके शिक्षा और अधिकार के लिए नये क़ानून बनाये जा रहे हैं

मुख्य शब्द- दिव्यांग जन , दिव्यांग जन के इतिहास, शिक्षा,रोजगार,क़ानून एवं सुझाव

भारत एक ऐसा देश है जो अवसर और आशाओं से परिपूर्ण है भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोक तंत्र वाला देश है तथा विभिन्न संस्कृतियों वाला है इस देश में तेजी से उद्यमिता अनुकुलनशीलता एवं आत्म निर्भरता का फैलाव हो रहा है आज के वर्तमान समय में तेजी से परिवर्तन आ रहा है सब तेजी से विकास और प्रगति कर रहे हैं इसी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था आज भारत जिस गति से विकास कर रहा है वह आज विश्व के आर्थिक पटल पर सातवें स्थान पर है विकास के इस दौर में शिक्षा,रोजगार तथा तकनीकियों का इस्तेमाल विकास में सहयोग प्रदान करता है।

वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों के अध्ययन करने से पता लगता है कि दिव्यान्गों के बारे में वर्णन मिलता है और उनके शिक्षा जैसे कार्य का भी अध्ययन मिलता है उस समय शिक्षा जैसा गूढ़ विषय समाज के हांथो से ही नियंत्रित और संचालित होता था शिक्षा पूर्ण रूप से स्वायत्त थी शिक्षा के कार्यों में या राज्य का हस्तक्षेप बिलकुल नही था या फिर नाम मात्र का था और भी आर्थिक रूप मदद करने तक प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्यो तक शिक्षा के समस्त दायित्व की पूर्ती समाज के द्वारा ही की जाती थी।

राज परिवार के बच्चे भी इसी शिक्षा ब्यवस्था का होते थे शिक्षा का केंद्र नगरों से प्रारंभ होकर अरण्यों तक जाता था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नगरों में रहती थी और बाद में ये केंद्र उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से अरण्यों में स्थानांतरित हो जाते थे।

शिक्षा केन्द्रों को गुरुकुल कहा जाता था। इनगुरुकुलों में बालक और बालिकाओं सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी किसी भी प्रकार का भेद भाव नही था प्रारंभिक स्तर पर सह शिक्षा एवं अलग-अलग दोनों प्रकार के शिक्षा ब्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पाठयक्रम भी अलग-अलग तरीके से विभाजित रहते थे। कुछ पाठयक्रम में लौकिक और कुछ पाठ्यक्रम में पारलौकिक हुआ करता था। जिसको जिस प्रकार के विषय में रूचि होता थी उसी विषय का चयन किया करते थे। शिक्षा का प्रारम्भ गुरुकुलों में की शिक्षा दीक्षा लेने से प्रारम्भ होती थी।

विद्यार्थी स्वयं गुरु के समक्ष प्रस्तुत होकर कुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थेI दिव्यांग ब्यक्तियों की देख भाल करना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति अंग बना रहा है। प्राचीन काल में बहुत से राजा महाराजा गीतकार तथा दार्शनिक हुए जो दिव्यान्गता से प्रभावित थे Iइसक्रम में सूरदास का नाम प्रचलित है अष्टावक्र का दार्शनिक व् महान ऋषि के रूप में प्रसिद्धी प्राप्त की तथा महाभारत कालीन राजाओं में धृतराष्ट्र का नाम सबने सुना है ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में महारत थे और विद्वता इनकी प्रसिद्धी थी मध्य कालीन भारत में भी कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो उस समय दिव्यान्गों कि शिक्षा तथा रोजगार के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं इनके ब्यवस्थित शिक्षा का प्रयास 19 वीं सताब्दी में देखने को मिलता है।

इस क्रम में श्रवण बाधितों के लिए औपचारिक शिक्षा का प्रथम 1984 में मुम्बई, में दृष्टि बाधितों का प्रथम विद्यालय 1887 में पंजाब प्रान्त के अमृतसर शहर में खोला गया और मानसिक मंदित बच्चों के लिए पहला विद्यालय 1939 में खोला गया।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में शिक्षा को मानव की बुनियादी जरुरत समझा गया इसलिए आम जन के जीवन स्तर के सुधार के लिए शिक्षा को मुख्य पहलू माना गया I संविधान में यह कहा गया है कि “कोई भी नागरिक धर्म मूल जाती और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त साक्षिक संस्थानों में नामांकन से वंचित नही हो सकता "I इसी प्रकार मूल भारती संविधान के चार राज्य के सभी बच्चो को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया।

एक संशोधन में वर्तमान मर 86 वें संविधान संशोधन के के माध्यम से इस मौलिक अधिकार का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 21 के साथ 21 (क) जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य कानून पद्धति से 06 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

निसक्त ब्यक्ति अधिनियम 1995 के अध्याय 5 धारा 26 में निशक्त बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा कि ब्यवस्था किये जाने का प्रावधान है धारा (26) में स्पस्ट शब्दों में कहा गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बालक को निशुल्क शिक्षा अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, उचित वातावरण में सुनिश्चित शिक्षा प्राप्त कर सकें।

वे दिव्यांग विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेंगे उनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है।

सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों कि स्थापना में इसे रीती से अभिवृद्धि करेंगे कि जिनसे देश के विशेष किशी भाग में रह रहे दिव्यांग बालकों की ऐसे विद्यालयों में पहुँच हो। साथ ही दिव्यांग बालकों के लिए विशेष विद्यालय को व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित करने का प्रयास करेंगे।

समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी अधिसूचना के जरिये-

(क) ऐसे दिव्यांग बालकों कि बाबत जिन्होंने पांचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर ली है, किन्तु पूर्ण कालिक आधार पर अध्ययन चालू नही रख सके अंशकालिक कक्षाओ का संचालन करेंगे।

(ख) सोलह वर्ष और उससे ऊपर की आयु के बालकों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की ब्यवस्था लिए विशेष, अंशकालिक कक्षाओ का संचालन करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध जन शक्ति का उपयोग उन्हें समुचित अभिविन्यास शिक्षा देने के पश्चात अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

(घ) खुले विद्यालयों या खुले विस्वविद्यालयों के माध्यम शिक्षा प्रारंभ करेंगे।

(ङ) क्रियात्मक इलेक्ट्रानिक या अन्य संचार के माध्यम से कक्षा और परिचर्चाओं का संचालन करेंगे।

(च) प्रत्येक दिव्यांग बालक के उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकों और उपस्करों की निःशुल्क ब्यवस्था करेंगे ।

दिव्यांगजन के लिए भविष्य में समुचित सरकारे अधिसूचना द्वारा एक ब्यापक शिक्षा स्कीम तैयार करें जिसमे निम्न-लिखित के लिए उपबंध है-

(क) दिव्यांग बालकों के लिए परिवहन सुविधाएं या उनके माता-पिता या अभिभावक को वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन जिससे कि उनके दिव्यांग बालक विद्यालय जा सके।

(ख) दिव्यांग बालकों के लिए व्यवसायिक वृत्तिय प्रसिक्षण देने वाले विद्यालयों,महाविद्यालयों या अन्य संस्थाओं से वास्तु विद्या सम्बन्धी बाधाओं को हटाना।

(ग) दिव्यांग बालकों के लिए पुस्तकों .ड्रेस ,अन्य सामग्री को प्रदान करना।

(घ) दिव्यांग बालकों के लिए छात्रवृत्ति।

(ङ) दिव्यांग बालकों के पुनर्वास लिए माता-पिता की शिकायतों को दूर करने के लिए समुचित मंच स्थापित करना।

(च) दिव्यांग बालकों के लिए नये पाठयक्रम की ब्यवस्था करना।

सन्दर्भसूची:-

१. तुली,उ. (2013) समावेशी शिक्षा एक वास्तविकता,योजना नई दिल्ली,अप्रैल अंक

२. सिंगल निधि (2013) विकलांग बच्चों कि शिक्षा, योजना नई दिल्ली,अप्रैल अंक

३. ओझा एस.के (2013) संख्या एवं नगरीकरण बौद्धिक प्रकासन इलाहाबाद

४. सर्वशिक्षा अभियान 2004 मनुअल्फारप्लानिंग एंड एप्रेसल एम्.एच.आर.डी.एलीमेंट्री एजुकेसन और लिट्रेसी नई दिल्ली

५. संजीव के, (2009) विशिष्ट शिक्षा,जानकी प्रकाशन, पटना